

श्री दीन दयाल बनाम ज0सू0अ0 कार्यालय मुख्यालय महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0, लखनऊ।

समक्ष: श्री मोहम्मद नदीम, मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। आयोग द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया और पाया गया कि कार्यालय वरिष्ठ जेल अधीक्षक केंद्रीय कारागार बरेली का एक पत्र दिनांक 05.10.2024 आयोग की पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार, लखनऊ को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि:—“अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका के वाल्यूम-5 भाग-1 के प्रस्तर 141(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री दीनदयाल पुत्र स्व0 बदलू सेवानिवृत्त बंदीरक्षक का माह अगस्त 2008 का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने एवं उक्त अवधि के वेतन भुगतान की कार्यवाई वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ के स्तर से ही जानी है।”

ऐसे में आज पारित आदेश की प्रति एवं वरिष्ठ जेल अधीक्षक केंद्रीय कारागार बरेली का पत्र दिनांक 05.10.2024 की प्रति संलग्न कर वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार लखनऊ को नोटिस जारी कर निर्देशित किया जाता है कि वह अगली सुनवाई तिथि को आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर स्पष्ट करे कि उनके स्तर से क्या कार्यवाई की गई है, अन्यथा की स्थिति आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

वाद वास्ते अगली सुनवाई दिनांक 27.12.2024 को पेश हो।


08.10.2024

पी
को अपलोकित किया गया
15/10/24
आदेश निमित्त

कार्यालय सुनवाई कक्ष संख्या एस-07 की
Email Id-hearingcourts7.upic@up.gov.in

आपलोकित आदेश-

अपारिहार्य कारणावली इस पत्रावली की सुनवाई नहीं की जा सकती है अग्रे सुनवाई तिथि- 31.12.24 नियत की जाती है।
